भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3318

(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

सीएसआर के अंतर्गत बलिया में विकास कार्यों के लिए प्रयुक्त निधि

3318. श्री सनातन पांडेयः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीएसआर के अंतर्गत विकास कार्यों हेतु निधि का आवंटन करने के लिए वर्तमान मानदंड और नियम क्या हैं;
(ख) उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों और कस्बों के नाम क्या हैं जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनियों ने विकास कार्य किए हैं और सीएसआर के अंतर्गत निधि का उपयोग किया गया है;
(ग) तत्संबंधी कंपनीवार, राशिवार और कार्य श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;
(घ) बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान तेल निकालने, अनुसंधान, गैस, सौर और पवन ऊर्जा सहित अन्य क्रियाकलापों में नियोजित कंपनियों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत अपने लाभ से कितनी राशि व्यय करने का विचार है; और
(ङ) उक्त कंपनियों द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों के लिए निर्धारित राशि पर प्राप्त ब्याज से व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएसआर निधियों के आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 135 में यह अधिदेश दिया गया है कि तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल संपत्ति, या 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर या 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक

जारी 2/-

का शुद्ध लाभ रखने वाली प्रत्येक कंपनी को कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में किए गए कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत सीएसआर पर खर्च करना अनिवार्य है। अधिनियम की अनुसूची-VII में पात्र सीएसआर कार्यकलापों को सूचीबद्ध किया गया है।

सीएसआर अधिदेशित कंपनियों का बोर्ड कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 को पूर्ण करने के अध्यधीन अधिनियम की अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट कोई भी कार्यकलाप प्रारंभ कर सकता है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को एमसीए 21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से सीएसआर कार्यकलापों का ब्यौरा फ़ाइल करना अपेक्षित है।

(ख) से (ङ): मंत्रालय सीएसआर व्यय के शहर-वार और ग्राम-वार आंकडे नहीं रखता है। कंपनी-वार, राज्य-वार, जिला-वार, विकास क्षेत्र-वार और कंपनी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं सहित, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। तथापि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए बलिया जिले में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 16.12.2024 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3318 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

बलिया जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)			
विकास क्षेत्र	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
सशस्त्र बल, वीरांगनाएं, युद्ध विधवाएं/आश्रित	**..**	**0.08**	**..**
शिक्षा	**..**	**0.08**	**0.81**
पर्यावरणीय स्थिरता	**..**	**..**	**0.003**
स्वास्थ्य देखभाल	**..**	**0.54**	**0.04**
गरीबी, भूखमरी उन्मूलन, कुपोषण	**..**	**0.001**	**0.08**
ग्रामीण विकास परियोजनाएं	**0.05**	**..**	**..**
स्वच्छ पेयजल	**0.07**	**..**	**0.09**
कुल	**0.12**	**0.71**	**1.02**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

****